न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 63 / 2022 (225 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्याः— 2022 / 117

उनवान

1. छोटा पत्नि रामसिंह जाति मीना। | निवासीयान दौलतपुरा तहसील खण्डार
2. कैलाश पुत्र अर्जुन जाति मीना। | जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलांटस्।

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र मथुरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
2. नागा पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार।

.....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः—

1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल अधिवक्ता अपीलांटस्।
2. श्री जगन्नाथ चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01।

—:: निर्णय ::—

दिनांक :—31.05.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी खण्डार जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07 / 2022 बउनवान बृजमोहन बनाम छोटा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2022 के विरुद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) उपखण्ड अधिकारी खण्डार के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी बृजमोहन पुत्र मथुरालाल निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नंबर 812 / 536 रकबा 3 खसरा नंबर 813 / 536 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम दौलतपुरा में स्थित है, जिसे पिछले 45—50 वर्षो से कृषि कार्य हेतू पूर्व दिशा की ओर स्थित खसरा नंबर 467 / 1 स्थित ग्राम दौलतपुरा की दक्षिण मेड़ की तरफ होकर खसरा नंबर 467 / 1 में होकर प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 812 / 536 एवं 813 / 536 को काश्त करते आ रहा है। मौके पर खसरा नंबर 467 / 1 पूर्व दिशा की और अप्रार्थी संख्या 01 काश्त करती थी, जिसने अप्रार्थी संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

03 से एक्सचेन्ज कर रखा है। अतः खसरा नंबर 467/1 में होकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर आने जाने के लिए खसरा नंबर 467/1 में होकर करीब 10 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान करने के आदेश पारित किए जावें। अदालत मातहत ने दिनांक 14.06.2022 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया कि " प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि ग्राम दौलतपुरा के आराजी खसरा नंबर 812/536 व 813/536 में जाने के लिये अप्रार्थी छोटा पत्नि रामसिंह की खातेदारी भूमि ग्राम दौलतपुरा की आराजी खसरा नंबर 467/1 में दक्षिणी सीमापर 5 फीट चौड़ा एवं 301 फीट लम्बाई एवं खसरा नंबर 537 में रामप्रसाद, शंकर,कैलाश पुत्र अर्जुन, कैलाशी, रामनाथी पुत्रीयान अर्जुन हिस्सा 23/30 गोविन्दसिंह पुत्र कैलाशचन्द हिस्सा 7/30 में उत्तरी सीमा पर 5 फीट चौड़ा एवं 301 फीट लम्बाई का नवीन रास्ता कायम करने के आदेश दिया जाता है। इस प्रकार नवीन रास्ता में प्रयुक्त 3010 वर्गफीट भूमि की कीमत इस क्षेत्र के लिये जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर से दुगुनी होगी। तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है इस राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणों को खाते में जमा करवाई जाने पर 3010 वर्गफीट भूमि को रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जावें।"

उक्त आदेश से प्रार्थी के सहमत नही होने से प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 07/2022 उपखण्ड अधिकारी खण्डार के समक्ष इस विषय में पेश किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण को ही पक्षकार बनाया गया है तथा अन्य व्यक्तियों को प्रार्थना पत्र हाजा में पक्षकार नही बनाया गया है। जिन पक्षकारों के विरूद्व श्रीमान् ने रास्ता देने के लिए आदेश फरमाया है वह उक्त प्रकरण में पक्षकार ही नही है तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी को जो रास्ता प्रदान किया गया है उसके मध्य में 2 खम्भे 33000 के0वी0 विद्युत के गढे हुए है। अतः दिनांक 14.06.2022 पर पुनः गौर फरमाया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत ने प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 27.09.22 को पुनः आदेश पारित किया कि "प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि में कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए खसरा नंबर 467/1 रकबा 05 बीघा 3 बिस्वा भूमि के दक्षिणी सीमा पर खातोली रोड से 301 फीट लम्बा 10 फीट चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। कुल रास्ता 3010 वर्ग फीट को बिना लगानी गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेखों में तरमीम कर दर्ज किया जावें।"

उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि का लैण्ड होल्डर तहसीलदार खण्डार है पक्षकारान तो मात्र खातेदार है। लैण्ड होल्डर की सहमति के अभाव में या लैण्ड होल्डर को सुने बिना रेवेन्यू रिकार्ड में किसी भी प्रकार का फेरबदल करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अधिकार किसी को भी नही है। अतः तहसीलदार खण्डार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था तथा खसरा नंबर 812/536 रकबा 03 बीघा व खसरा नंबर 813/536 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा पर पहुचने के लिए कृषि भूमियों में से सबसे कम भूमि खसरा नंबर 537 रकबा 5.02 हैक्टेयर की दक्षिणी सीमा से 12 फीट चौडा 235 फीट लम्बा दक्षिण सीमा पर उसी खसरा नंबर में दक्षिणी पूर्वी कोने से उत्तर की तरफ 12 फीट चौडा 8 फीट लम्बा रास्ता बनाने पर पहुचा जा सकता है, जो कि समस्त सुझाये गये रास्तो में से कम भूमि को कवर करता है। उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष मौजूद था। इस भाग में रास्ता कायम करने से न केवल कृषि भूमि कम लगती है बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को भूमि की कीमत भी कम देनी पडती है लेकिन अदालत मातहत ने बिना इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर फरमाये ही उक्त आदेश पारित किया है, जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत के आदेश दिनांक 27.09.2022 को खारिज फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।
5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 नागा व अपीलांट छोटा के बीच आज दिन तक आराजी खसरा नंबर 467/1 का विधिवत तकासमा नही हुआ है। उक्त तथ्य तहसीलदार खण्डार द्वारा पेश दिनांक 29.03.2022 की मौका रिपोर्ट से भी भली भांति स्पष्ट है बावजूद इसके बिना तकासमा के केवल अपीलांट का हिस्सा मानकर जो आदेश मातहत अदालत ने पारित किए है वह विधि विपरीत होने से खारिज योग्य है। आगे कथन किया कि मातहत अदालत में तहसीलदार द्वारा सुझाए गए सभी रास्तो में सबसे नजदीक के रास्ते के लिए बताए गई भूमि के खातेदारो को अपीलांट के द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट आने के बाद पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन अदालत मातहत ने यह जानते हुए भी कि सबसे नजदीक रास्ते मे यह खातेदार है और उस स्थान पर रास्ता कायम करने से कम कृषि भूमि का नुकसान होगा, फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से साज करके अपीलांट का प्रार्थना पत्र पर गौर नही करके खारिज करने मे भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपास्त फरमाया जावें।
6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्था 45–50 वर्षो से ही मातहत अदालत द्वारा प्रदान किए गए रास्ते की जगह मे होकर ही आ–जा रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी के लिए अदालत मातहत द्वारा प्रदान किया गया रास्ता ही सर्वसुगम व सुविधाजनक मार्ग है। अदालत मातहत द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आदेश में किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। यह अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को मात्र बेवजह परेशान करने के उद्देश्य की गई है। अतः अपील अपीलाट खारिज फरमाई जावें।

7. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

8. रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित अराजीयात खसरा नम्बर 467/1 रकबा 05 बीधा 03 बिस्वा वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार छोटा पत्नि रामसिंह हिस्सा 40/103 राहीन बैंक ऑफ बडौदा तथा नागा पुत्र बजरंगा हिस्सा 60/103 जाति मीना साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अदालत मातहत के प्रकरण संख्या 25/2020 दिनांक 14.06.2022 उनवानी प्रकरण बृजमोहन बनाम छोटा में अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये यह आदेश किया गया कि प्रार्थी का 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि ग्राम दौलतपुरा के अराजी खसरा नम्बर 812/536 व 813/536 में जाने के लिये अप्रार्थीगण छोटा पत्नि रामसिंह की खातेदारी भूमि ग्राम दौलतपुरा की अराजी खसरा नम्बर 467/1 में दक्षिणी सीमा पर 05 फीट चौड़ा एवं 301 फीट लम्बाई =1505 वर्गफीट एवं ग्राम दौलतपुरा की अराजी खसरा नम्बर 537 में रामप्रसाद,शंकर,कैलाश पुत्र अर्जुन , कैलाशी, रामनाथी पुत्रीयान अर्जुन हिस्सा 23/30, गोविन्दसिंह पुत्र कैलाशचन्द हिस्सा 07/30 में उत्तरी सीमा पर 05 फीट चौड़ा एवं 301 फीट लम्बाई =1505 वर्गफीट नवीन रास्ता कायम करने के आदेश दिया जाता है। इस प्रकार नवीन रास्ता में प्रयुक्त 3010 वर्गफीट भूमि की कीमत इस क्षेत्र के लिये जिला स्तरीय कमेटी (डी.एल.सी.) द्वारा निर्धारित दर से दुगुना होगी। तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है इस राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणों को खाते में जमा करवाई जाने पर 3010 वर्गफीट भूमि को रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जावें।

तत्पश्चात् रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र ऑर्डर 47(1) सीपीसी उनवानी प्रकरण संख्या 25/2020 तारीख निर्णय दिनांक 14.06.2022 न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार बमुकदमा उनवानी बृजमोहन बनाम छोटा वगैरहा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 का पेश किया।

रिव्यू प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निर्णय में जिन पक्षकारों के विरूद्व न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है, वे न्यायालय हाजा में पक्षकार नहीं है। निर्णय दिनांक 14.06.2022 में 10 फीट चौड़ा रास्ते के आदेश किये गये है, उस स्वीकृत रास्ते के मध्य मे दो खम्भें 33000 किलोवाट के स्थापित है। अन्त में निवेदन किया गया है कि निर्णय को रिव्यू फरमाते हुये प्रार्थी को खसरा नम्बर 467/1 ग्राम दौलतपुरा की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दक्षिण मेड की तरफ होकर रास्ता दिलवाया जावें। अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र का रिव्यू स्वीकार करते हुये यह आदेश किया गया है कि उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के उनवानी प्रकरण बृजमोहन बनाम छोटा वगै0 मु0न0 25/2020 कि0मु0– प्रार्थना पत्र 251 ए आरटीएक्ट, निर्णय दिनांक 14.06.2022 में क्रियात्मक आदेश संशोधित किया जाता है कि प्रार्थी के राजस्व ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 812/536 एवं 813/536 में आने जाने व कृषि यंत्र ले जाने के लिए आराजी खसरा नम्बर 467/1 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा भूमि के दक्षिणी सीमा पर खातोली रोड़ से 301 फीट लम्बा व 10 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। कुल रास्ता 3010 वर्ग फीट को बिना लगानी गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेखों में तरमीम कर दर्ज किया जावें। प्रार्थी से डीएलसी दर से दुगुनी राशि जमा करवायी जाकर खसरा नम्बर 467/1 के खातेदारों के खाते में राशि जमा करवायी जावें।

9. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

251–A Laying of underground pipeline or opening a new way through another Khatedar's holding or enlarging the existing way (1) where-

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holding-

अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.2022 आदेश जारी करने से पूर्व स्वयं पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार द्वारा भूमि का मौका देखा गया और पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट बनायी गयी परन्तु मौका रिपोर्ट पर न तो तहसीलदार के हस्ताक्षर है न ही पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर है। जबकि न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.2022 में यह अकंन किया गया है कि मौका पीठासीन अधिकारी व तहसीलदार द्वारा देखा गया है।

पटवारी द्वारा तैयार रिपोर्ट मय नजरी नक्शा मय नजरी नक्शा शुदा एवं तहसीलदार द्वारा भी मौका रिपोर्ट 29.03.2022 में चार प्रस्तावित रास्ते दर्शायें गये है।

10. इसी आधार पर निर्णय दिनांक 14.06.2022 में प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि ग्राम दौलतपुरा के आराजी खसरा नंबर 812/536 व 813/536 में जाने के लिये अप्रार्थीगण छोटा पत्नि रामसिंह की खातेदारी भूमि ग्राम दौलतपुरा की आराजी खसरा नंबर 467/1 में दक्षिणी सीमा पर 5 फीट चौडा एवं 301 फीट लम्बाई एवं ग्राम दौलतपुरा की आराजी खसरा नंबर 537 में रामप्रसाद, शंकर, कैलाश पुत्र अर्जुन,

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कैलाशी, रामनाथी पुत्रीयान अर्जुन हिस्सा 23/30, गोविन्दसिंह पुत्र कैलाशचंद हिस्सा 7/30 में उत्तरी सीमापर 5 फीट चौड़ा एवं 301 फीट लम्बाई(1505 वर्ग फीट) नए रास्ता स्वीकृति के आदेश दिये गये है।

अदालत मातहत द्वारा प्रथम निर्णय दिनांक 14.06.2022 का आदेश स्वयं पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। परन्तु द्वितीय आदेश दिनांक 27.09.2022 को इस प्रकार किया गया है कि– "उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के उनवानी प्रकरण बृजमोहन बनाम छोटा वगै0 मु0न0 25/2020 कि0मु0– प्रार्थना पत्र 251 ए आरटीएक्ट, निर्णय दिनांक 14.06.2022 में क्रियात्मक आदेश संशोधित किया जाता है कि प्रार्थी के राजस्व ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 812/536 एवं 813/536 में आने जाने व कृषि यंत्र ले जाने के लिए आराजी खसरा नम्बर 467/1 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा भूमि के दक्षिणी सीमा पर खातोली रोड से 301 फीट लम्बा व 10 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। कुल रास्ता 3010 वर्ग फीट को बिना लगानी गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेखों में तरमीम कर दर्ज किया जावें। प्रार्थी से डीएलसी दर से दुगुनी राशि जमा करवायी जाकर खसरा नम्बर 467/1 के खातेदारों के खाते में राशि जमा करवायी जावें।"

11. यद्यपि प्रथम आदेश दिनांक 14.06.22 को निर्णित करने से पूर्व स्वयं पीठासीन उपख ड अधिकारी खण्डार द्वारा मौके की स्थिति देखी गई, तत्पश्चात् ही निर्णय पारित किया गया। लेकिन रिव्यू प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 27.09.2022 पारित करते समय पीठासीन उपखण्ड अधिकारी खण्डार या तहसीलदार खण्डार/भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मौका मुआयना नही किया गया।

12. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के दृष्टांत **आर.आर.डी. 2016 पेज 699** पर इसके विषय मे निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है:–

"Rajasthan Tenancy Act, Section 230-SDO allowed application u/s 251-A-Appeal rejected by RAA-Revision before board-Held-SDO passed the order on report of Patwari-Rules provide for inspection by officer not below the rank of Land Recc Inspector-It is a mandarotory provision-Case remanded."

इन नियमों की क्रियान्विति हेतु राजस्थान काश्तकारी नियम 68–70 का प्रावधान निम्नानुसार है।

(1) आवश्यकता "आत्यान्तिक" होनी चाहिए न कि सुविधा के लिए।

(2) नया रास्ता स्वीकृत करते समय गिरदावर से अन्यून रिकॉर्ड मान्यता नहीं है और मौका रिपोर्ट हेतु पक्षकारों को सुना जाना चाहिए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

13. प्रथम आदेश दिनांक 14.06.2022 स्वयं पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौके अनुसार जारी किया गया। अब रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से बिना कोई "आत्यान्तिक आवश्यकता " के ही एवं प्रार्थी की सुविधा के अनुसार आदेश जारी किये गये है। जो विधि विपरीत है।

इसके संबंध में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दृष्टांत **आर.आर.टी. 2018–19(सप.) पेज 576** पारित किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

"Rajasthan Tenancy Act, 1955-Section 251-A-Grant of new way from the arazi of the petitioner-Appeal dismissed against the order-non-petitioner can reach to his arazi no. 1563 through the arazi no. 4560 and 4561 which are connected with the road-Arazi No. 4560 is of the non-petitioner-Moka report was not correct-Way is already available to the non-petitioner and no new way can be ordered just for convenience of the non-petitioner-Non-petitioner does not want to cut off the way from his arazi-Held, Orders are illegal and set aside."

"When way is already available no new way can be ordered just for convenience of the non-petitioner."

14. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार की उपस्थिति में पटवारी द्वारा तैयार नजरी नक्शा एवं रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक 533 दिनांक 29.03.2022 के बिन्दु संख्या 06 के अनुसार "सबसे छोटा" रास्ता जिसकी प्रस्तावित लम्बाई 235 फीट है और रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुसार किसी प्रकार का कोई अवरोधक ढांचा भी खड़ा नहीं है। प्रार्थी के लिए एकदम छोटा रास्ता जो दिया जाना संभव हो सकता है।

15. उपर्युक्त विवेचनानुसार अदालत मातहत के आदेश दिनांक 27.09.2022 बउनवान बृजमोहन बनाम छोटा मु0न0 07/2022 को निरस्त किया जाता है। यदि अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 27.09.2022 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन कर दिया गया हो तो, राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की निर्णय दिनांक 27.09.2022 के पूर्व की स्थिति को बहाल की जावें। यदि अपीलांट संख्या 02/अप्रार्थी संख्या 03 के अतिरिक्त अन्य भी कोई सहखातेदार है तो उचित सुनवाई का अवसर देते हुए तदानुसार कार्यवाही की जावें। पत्रावली इन दिशा-निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि रेस्पो0/प्रार्थीगण को उसकी अराजीयात 18/536 व 1812/536 ग्राम दौलतपुरा में आवागमन हेतु जो भी "सबसे छोटा रास्ता" दिया जाना संभावित हो, सभी उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई अवसर प्रदान करते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 30.06.2023 को उपखण्ड अधिकारी खण्डार के समक्ष उपस्थित होवें।

GL
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

16. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 31.05.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
31.05.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner